कार्यवृत्त

[संक्षिप्त कार्य-विवरण]

बुधवार, 29 माघ, शक संवत् 1947

(18 फरवरी, 2026 ई0)

खण्ड-531

अंक-08

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये एवं उनके उत्तर दिये गये।

आज की कार्य-सूची के तारांकित प्रश्न संख्या-02 पर श्री आशु मलिक द्वारा अनुपूरक प्रश्न में अपने क्षेत्र विशेष की समस्याओं से अवगत कराने पर श्री अध्यक्ष ने प्रश्नकर्ता सदस्य व अन्य सदस्यों को इंगित करते हुए कहा कि सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन तारांकित प्रश्न पॉलिसी से सम्बन्धित होते हैं, जिससे पूरा प्रदेश आच्छादित होता है, तारांकित प्रश्न के अनुपूरक में यदि सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं पर प्रश्न करते हैं तो सम्भव है कि उसका उत्तर सम्बन्धित मंत्री के पास न हो, इसलिए अपने निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित प्रश्न को अतारांकित प्रश्न में लगाया करें, जिससे उनका सम्पूर्ण उत्तर आ सके एवं आवश्यक कार्यवाही हो सके।

आज की कार्य-सूची के तारांकित प्रश्न संख्या-04 में अनुपूरक प्रश्न पूछते समय श्री अतुल प्रधान द्वारा कतिपय शब्द के प्रयोग पर श्री अध्यक्ष ने उसे कार्यवाही से निकाले जाने के निर्देश दिये।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को उनके जन्मदिन के अवसर पर सदन की ओर से बधाई दी गयी :-

श्री कैलाश नाथ शुक्ल,

श्री वेद प्रकाश गुप्ता।

श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि श्री वेद प्रकाश गुप्ता, सदस्य, विधान सभा अपने जन्मदिन के अवसर पर श्री राम जन्म भूमि का प्रसाद सभी सदस्यों के लिए भेंट स्वरूप लाए हैं, जिसे सभी सदस्य पटल कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

आज दिनांक 18 फरवरी, 2026 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 76 सूचनाएं प्राप्त हुईं, निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं -

क्र0-सं0	नाम	विषय
1	श्री राम खिलाड़ी सिंह	जनपद सम्भल में कतिपय सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में।
2	श्रीमती सरोज कुरील	विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर में पी0डब्लू0डी0 विभाग द्वारा सामुदायिक भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री राकेश कुमार गोस्वामी	जनपद महोबा में स्थित विजय सागर पक्षी विहार को महोबा वन प्रभाग में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।
4	श्री राम मूर्ति वर्मा	जनपद अम्बेडकरनगर के टांडा में कतिपय स्थान पर नाले के निर्माण के सम्बन्ध में।
5	डॉ0 अजय कुमार	जनपद बागपत के निजी चीनी मिल में गन्ने का भुगतान के सम्बन्ध में।
6	श्री विशम्भर सिंह यादव	जनपद लखनऊ के सरोजनीनगर में कतिपय स्थान पर पार्क के निर्माण के सम्बन्ध में।
7	श्री रमा शंकर सिंह	जनपद मिर्जापुर के मड़िहान में कतिपय पुल के निर्माण के सम्बन्ध में।
8	श्री हरिओम	जनपद कासगंज के अमांपुर में कतिपय मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में।
9	श्री दीपक पटेल	जनपद प्रयागराज के फूलपुर में कतिपय सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में।
10	श्री कैलाश राजपूत	जनपद कन्नौज में कतिपय भूमि को भू-माफियाओं से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में।
11	श्री जाहीद	जनपद भदोही के सदर में मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
12	श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'	जनपद प्रतापगढ़ के रामपुर में कतिपय चिकित्सालय की मरम्मत के सम्बन्ध में।
13	श्री अभय सिंह	जनपद अयोध्या में माता कौशल्या कुण्ड एवं माता सुमित्रा कुण्ड के सम्पर्क मार्ग पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	नाम	विषय
14	श्री लक्ष्मी राज सिंह	जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद के विकास खण्ड गुलावठी में प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण के सम्बन्ध में।
15	डॉ0 पल्लवी पटेल	जनपद कौशाम्बी के सिराथू में स्थित ट्रामा सेन्टर में जनरल ओपीडी एवं प्रसव केन्द्र शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में।
16	श्री ओ0 पी0 श्रीवास्तव	जनपद लखनऊ के विकास नगर में निर्मित मिनी स्टेडियम की मरम्मत के सम्बन्ध में।
17	श्री राजीव सिंह उर्फ 'बब्बू भईया'	विधान सभा क्षेत्र दातागंज की नगर पालिका परिषद् में आकांक्षी योजना चयनित किये जाने तथा धन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
18	डॉ0 मनोज कुमार प्रजापति	जनपद लखनऊ के राज्य सम्पति विभाग के अधीन एम0आई0जी0 कॉलोनी में सुरक्षा हेतु गेट लगाए जाने के सम्बन्ध में।
19	श्री त्रिभुवन दत्त	जनपद अम्बेडकरनगर के कतिपय मार्ग में बाईपास के निर्माण के सम्बन्ध में।
20	श्री जवाहर लाल राजपूत	जनपद झाँसी के मोंठ के गुरसराय कस्बे में बस स्टैण्ड के निर्माण के सम्बन्ध में।
21	श्रीमती विजमा यादव	जनपद प्रयागराज के प्रतापपुर में कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में।
22	श्री सुरेश पासी	जनपद सुल्तानपुर के हलियारपुर से फत्तेपुर तक मार्ग की चौड़ाई के सम्बन्ध में।
23	श्री दुधराम	जनपद बस्ती के महादेव में कतिपय स्थान पर नाली के निर्माण के सम्बन्ध में।
24	श्री बेचई सरोज	जनपद आजमगढ़ के लालगंज में पशु अस्पताल के निर्माण के सम्बन्ध में।
25	डॉ0 रागिनी	जनपद जौनपुर के मछलीशहर में कतिपय मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में।
26	श्री राम कृष्ण भार्गव	जनपद सीतापुर के मिश्रिख में कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	नाम	विषय
27	श्री सुरेन्द्र मैथानी	जनपद कानपुर में पंदुनगर चिकित्सालय को मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।
28	डॉ0 राजेश्वर सिंह	लखनऊ नगर निगम में ड्रेनेज व्यवस्था की समीक्षा कर के जल निकासी की समस्या से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

आज नियम-300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न के रूप में 02 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जो अग्राह्य हुईं।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने सदन को अवगत कराया कि कल दिनांक 17 फरवरी, 2026 को माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं उनके सहयोगियों द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-संचालन एवं प्रक्रिया नियमावली के नियम-300 के अन्तर्गत इस आशय की सूचना दी गई कि कार्यपालिका द्वारा विधायिका एवं न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप किया जा रहा है। सूचना संविधान के प्रावधानों के सन्दर्भ में होने के कारण स्वीकार की गई।

माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा इस विषय पर आज सदन को सम्बोधित किया गया। उनके द्वारा मुख्य रूप से यह कहा गया कि न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका इन तीनों का अपना अधिकार क्षेत्र है एवं नियमों के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि उनको एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में कार्यपालिका, विधायिका पर हावी होती जा रही है। कार्यपालिका कहीं-कहीं न्यायपालिका को भी प्रभावित करती है। उनके द्वारा इस सम्बन्ध में यह भी कहा गया कि विधायिका की पीठ से जो निर्देश दिए जाते हैं, उनका अनुपालन कार्यपालिका द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जाता है, जो कि सर्वथा आपत्तिजनक है। विधायकों को अधिकारियों द्वारा समुचित सम्मान नहीं दिया जाता तथा उनकी सुनवाई भी नहीं की जाती एवं उनका टेलीफोन भी नहीं उठाया जाता है।

समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक श्री कमाल अख्तर एवं डॉ0 संग्राम यादव द्वारा भी इसी प्रकार के उद्‌गार व्यक्त किए गए एवं उनके द्वारा यह कहा गया कि पूरे प्रदेश में विधायकों को समुचित सम्मान अधिकारियों द्वारा नहीं दिया जा रहा है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि हम यहां पर जनता के कार्य करने के लिए आते हैं एवं कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं करते हैं। उन्होंने यह कहा कि यदि अधिकारी कहीं व्यस्त हैं तो उनका यह दायित्व है कि वह बाद में विधायकों से सम्पर्क करें एवं उनकी बात को सुनें । उनके द्वारा यह भी चिंता व्यक्त की गई कि कई बार माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित नहीं किया जाता है एवं उनका उल्लंघन किया जाता है। डॉ0 रागिनी सोनकर द्वारा भी इस विषय में सदन को सम्बोधित करते हुए कहा गया कि अधिकारी यदि कहीं व्यस्त हैं तो वह तत्समय 'व्हाट्सएप' पर संदेश प्रेषित कर सकते हैं, परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इस प्रकरण में प्रतिउत्तर देते हुए यह कहा गया कि इसी सदन में अधिकारियों को सजा दी गई थी। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि कार्यपालिका, विधायिका पर हावी नहीं है एवं यह आरोप सर्वथा निराधार है। इसी सदन में वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्षों से लम्बित प्रकरण को निस्तारित करते हुए कतिपय अधिकारियों को दण्डित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों द्वारा टेलीफोन पर जवाब देने की यह व्यवस्था है कि यदि अधिकारी कहीं व्यस्त हैं तो उनको बाद में कॉल का जवाब देना चाहिए। इस सम्बन्ध में कई शासनादेश भी निर्गत किए गए हैं एवं अधिकारियों को शासन की ओर से यह निर्देश दिए गए हैं कि विधायकों को उनके टेलीफोन का जवाब दिया जाए। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यदि अधिकारी विधायकों की बात को इस प्रकार से नहीं सुनते हैं तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मंत्री श्री असीम अरुण, जो स्वयं प्रशासनिक सेवा के महत्वपूर्ण पद पर कार्य कर चुके हैं, द्वारा यह कहा गया कि यह सम्भव है कि अधिकारी कहीं व्यस्त हों या अस्वस्थ हों अथवा अवकाश पर हों, परन्तु यह भी सही है कि कुछ अधिकारी सुस्त हैं और कुछ अधिकारियों का सेवा आचरण उपयुक्त न हो। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि कोई ऐसा नम्बर निर्धारित किया जाए, जिस पर विधान सभा द्वारा ऐसे अधिकारी को सम्पर्क किया जाए, जो माननीय विधायकों के फोन नहीं उठाते हैं। प्रदेश स्तर पर एवं जिला स्तर पर इसी प्रकार की व्यवस्था किया जाना उपयुक्त होगा।

सदन में नियम-300 के अन्तर्गत दी गई सूचना के सन्दर्भ में जो चर्चा हुई है, उससे यह परिलक्षित होता है कि अधिकारियों के स्तर पर अपेक्षित सहयोग माननीय विधायकों को नहीं किया जा रहा है, जो चिंता का विषय है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि यह उपयुक्त नहीं है। शासन स्तर पर इस सम्बन्ध में कई शासनादेश भी निर्गत किए गए हैं, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उनका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, जो कि सर्वथा आपत्तिजनक है। यह उल्लेखनीय है कि व्यावहारिक रूप से शासन के आदेशों का अनुपालन अधिकारियों के स्तर पर सुनिश्चित किया जाता है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार ऐसे आचरण के सर्वथा विरुद्ध है कि अधिकारियों द्वारा माननीय विधायकों के फोन न उठाए जाएं अथवा उनको उचित सम्मान न दिया जाए।

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाना भी उपयुक्त होगा कि संविधान के अनुच्छेद-164 (2) के अन्तर्गत मंत्रि-परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। संविधान के अनुच्छेद-194 के अन्तर्गत विधान मण्डलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों तथा समितियों की शक्तियां एवं विशेषाधिकार प्राविधानित किये गये हैं। संविधान के यह प्राविधान विधायिका की शक्तियों एवं उसके सदस्यों की भूमिका के सुचारु संचालन के उद्देश्य से निर्धारित हैं। अतः विधान सभा के माननीय सदस्य द्वारा यदि राज्य सरकार के अधिकारियों से

जनहित के कार्यों के लिए सम्पर्क किया जाता है तो अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि उनको यथोचित सम्मान दें एवं समय दें तथा जनहित के कार्यों के विषय में उनको सुनवाई का अवसर निश्चित रूप से प्रदान करें।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि इस सदन में कुछ दिन पूर्व एक लम्बित मामले में कतिपय अधिकारियों को सदन के अधिकारों की अवहेलना करने के सापेक्ष दण्डित किया गया। यह स्पष्ट है कि इस सदन को अधिकारियों के प्रति दण्डात्मक कार्रवाई करनी पड़ी, परन्तु ऐसा करने का अवसर न आए तो अधिक उपयुक्त होगा। दण्ड के प्रावधान अथवा विशेषाधिकार के उल्लंघन के सापेक्ष दण्ड दिए जाने की व्यवस्था प्रयोग में लाए जाने से ही यह परिलक्षित होता है कि अधिकारियों द्वारा जो आचरण किया जा रहा है वह संवैधानिक योजना के अनुरूप नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि जिस प्रकरण में इस सदन द्वारा अधिकारियों को दण्डित किया गया है, वह प्रकरण पिछली सरकार के समय का है । यह महत्वपूर्ण नहीं है कि किस शासन में इस प्रकार का आचरण अधिकारियों द्वारा किया गया, महत्वपूर्ण यह है कि इस सदन के सदस्य जो जनहित के कार्य करने के लिए अधिकारियों से सम्पर्क करते हैं उनको समुचित सम्मान देते हुए समय दिया जाना अधिकारियों का संवैधानिक दायित्व है। सदन के विशेषाधिकार के उल्लंघन में अथवा किसी माननीय सदस्य के अवमान के सापेक्ष इस सदन को कार्रवाई किए जाने की नौबत न आए तो श्रेयस्कर होगा, परन्तु यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो सदन को उस सन्दर्भ में कार्रवाई करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा भी अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के हाल में सम्पन्न हुए सम्मेलन में यह विचार व्यक्त किए गए थे कि "सुदृढ़ विधायिका, सुदृढ़ लोकतन्त्र"। अतः यह स्पष्ट है कि शासन द्वारा विधायिका को सुदृढ़ किए जाने की पूरी पहल की जाती है, परन्तु कदाचित् अधिकारियों के स्तर पर सजग होकर इसका अनुपालन करने की आवश्यकता है।

औपनिवेशवाद के युग की समाप्ति के पश्चात् पूरे विश्व में संसदीय लोकतन्त्र की व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ एवं नये संविधानों की रचना हुई। हमारे देश के संविधान में भी संसदीय लोकतन्त्र की व्यवस्था को योजनाबद्ध किया गया। भारत के संविधान में संसदीय लोकतन्त्र को सुनिश्चित करने के लिए कतिपय आधारभूत तत्वों को समाहित किया गया, जिनमें मुख्य रूप से शक्तियों का पृथक्ककरण (Separation of Power), नागरिकों के मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights), अवसर की समानता, मार्गदर्शी सिद्धान्त एवं संघीय व्यवस्था आदि हैं।

शक्तियों के पृथक्ककरण (Separation of Power) का सिद्धान्त भारत के संविधान का एक मूलभूत तत्व है। संसदीय लोकतन्त्र की सफलता इस सिद्धान्त के अनुपालन को सुनिश्चित करने में ही निहित है। भारत के संविधान के अन्तर्गत कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका को पृथक रूप से परिभाषित कर एवं उनके क्षेत्राधिकार को प्राविधानित किया गया है।

लोकतन्त्र को सुचारु रूप से संचालित करने एवं जनहित में लोकतन्त्र की सफलता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि इन शक्तियों की संवैधानिक रूप से प्राविधानित परिधि का अनुपालन मूर्त रूप में किया जाए। यह तीनों धारायें परस्पर विरोधी न होकर एक-दूसरे की पूरक हैं। इन तीनों धाराओं से यह अपेक्षित है कि वह एक-दूसरे की परिधि एवं क्षेत्राधिकार का सम्मान करें एवं उसी प्रकार से संवैधानिक अनुशासन को सुनिश्चित करें। शक्तियों के पृथक्ककरण (Separation of Power) के इस सिद्धान्त का यदि उल्लंघन होता है तो संविधान में निहित योजना में व्यवधान होगा, जो कि जनहित के प्रतिकूल है।

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा के अपने अन्तिम वक्तव्य में यह कहा गया था कि-''हमारा संविधान आदर्श है, परन्तु यदि भविष्य में इसमें कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो वह संविधान में नहीं होगी, बल्कि इसका अनुपालन करने वाले व्यक्तियों में होगी''। डॉ0 अम्बेडकर का यह महत्वपूर्ण वक्तव्य निम्नवत् है :-

"I feel that the Constitution is workable. it is flexible and it is strong enough to hold the country together both in peace time and in war time. Indeed, if I may say so, if things go wrong under the new Constitution, the reason will not be that we had a bad Constitution. What we will have to say is that man was vile."

डॉ0 अम्बेडकर द्वारा जो उपर्युक्त चिंता व्यक्त की गयी थी, उसके बारे में हम सबको सदैव सजग रहना चाहिए। इस सदन में विराजमान सभी माननीय सदस्य संविधान का अनुपालन किसी न किसी रूप में करते हैं। संसदीय लोकतन्त्र में पक्ष और विपक्ष समय के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण हो सकता है, परन्तु इतिहास इस बात का साक्षी है कि पक्ष और विपक्ष के योगदान को समय निर्धारित करता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका के जो अपने दायित्व, कर्तव्य, अधिकार एवं सीमायें हैं, उनका पालन दृढ़ता से होना ही चाहिए। इन तीनों धाराओं में प्रतिस्पर्धा का कोई अवसर नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं का भी यही मंतव्य था। यदि कार्यपालिका द्वारा विधायिका अथवा न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में अथवा इसके विपरीत विधायिका या न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका की परिधि में हस्तक्षेप किया किया जायेगा, तो कदाचित् वह लोकतन्त्र के उद्देश्यों के विपरीत होगा एवं यहाँ बैठे हुए हम सभी महानुभाव अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सुखद विरासत नहीं छोड़ पायेंगे। वर्तमान में संसदीय लोकतन्त्र की सफलता के विषय में एवं लोकतन्त्र के समक्ष चुनौतियों के विषय में चिंता व्यक्त की जा रही है। इसकी सफलता एवं असफलता संविधान की मर्यादाओं के अनुपालन में ही निहित है। हम सबको यह समझना चाहिए कि यदि लोकतन्त्र की व्यवस्था बिगड़ती है, तो अराजकता का माहौल पैदा होगा एवं आने वाले समय में इसको सम्भालना मुश्किल हो जायेगा।

पिछले कुछ दशकों से यह अनुभव किया जा रहा है कि विधायिका की गरिमा एवं संवैधानिक भूमिका के निर्वहन हेतु सुगम वातावरण एवं परिस्थितियाँ नहीं बन पा रही हैं। इसी

प्रकार न्यायपालिका के कतिपय आदेशों का भी समुचित अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने के दृष्टान्त सामने आये हैं। प्रशासनिक व्यवस्था का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह संविधान की योजना के अनुसार विधायिका एवं न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार एवं उसके अधिकारों का सम्मान करे। इसी प्रकार विधायिका एवं न्यायपालिका से भी यह अपेक्षित है कि वह कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार को अपेक्षित महत्व दे।

इस सदन में बैठे सभी माननीय सदस्य मूल रूप से जनता के प्रतिनिधि हैं और जनहित में ही कार्य सम्पादित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे संविधान की उद्देशिका में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि ''हम भारत के लोगों'' द्वारा इस संविधान को आत्मार्पित किया गया है। अतः ''हम भारत के लोग'' ही सर्वोपरि हैं। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लोकतन्त्र के विषय में यह परिभाषित किया गया है कि **''लोकतन्त्र में लोगों का निर्णय हमेशा अन्तिम होता है और हम सभी को इसको मानना चाहिए''।**

इस सदन में विराजमान सभी महानुभाव ''हम भारत के लोगों'' का ही प्रतिनिधित्व करते हैं और जो भी इस सदन के निर्णय होते हैं, यहाँ पर चर्चायें होती हैं, संकल्प पारित होते हैं या इस सदन में जो प्रस्ताव पारित होते हैं, उनका अनुपालन संवैधानिक योजना के अनुसार सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है । इस सदन में विराजमान ''हम भारत के लोगों'' के संविधान सम्मत निर्णयों का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय सदस्यों से भी यह अपेक्षित है कि हम सभी कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की मर्यादा का सम्मान करें एवं उनकी संवैधानिक परिधि का अनुपालन सुनिश्चित करें।

जो राजनैतिक कार्यकर्ता केवल निर्वाचन के लिए ही कार्य करते हैं, वह सिर्फ राजनीतिज्ञ हैं, परन्तु जो राजनैतिक कार्यकर्ता अगली पीढ़ी के लिए कार्य करते हैं, उन्हीं को हम स्टेट्समैन (Statesman) की संज्ञा देते हैं। चूंकि जनता ने हमको इन पदों पर बिठाया है, इसलिए हम सबका यह दायित्व है कि अगले निर्वाचन के साथ हम सब अगली पीढ़ी की भी चिंता करें। हम यहाँ पर मूल रूप से एवं मुख्य रूप से जनता के कार्यों के लिए ही एकत्र होते हैं एवं जनता ने ही हमको यहाँ पर अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, इसलिए चाहे हम पक्ष में हों अथवा विपक्ष में हों हम अपने संवैधानिक दायित्वों का एवं जो भी भूमिका हमको प्रदत्त की गयी है, उसका ईमानदारी से एवं पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करें।

अन्त में मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से यह अनुरोध करूँगा की वह शासन स्तर से प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में आवश्यक निर्देश निर्गत करें एवं जो आदेश पूर्व में कई बार निर्गत किये जा चुके हैं, उनका अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु कड़े निर्देश दें। शासनादेशों का अनुपालन अधिकारियों के स्तर पर न किया जाना उनकी सेवा नियमावली का उल्लंघन है। यह उपयुक्त होगा कि यदि शासन द्वारा माननीय विधायकों के सन्दर्भ में निर्गत किये गये आदेशों का

अनुपालन अधिकारियों के स्तर पर सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है तो इस हेतु नियमानुसार कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

लोकतन्त्र के कारण ही हम सब यहाँ पर बैठे हैं। जनता द्वारा हम सब में अपना विश्वास प्रदर्शित किया गया है, जनता द्वारा प्रदर्शित किये गये इस विश्वास को हम सब किसी भी कीमत पर संरक्षित एवं सुनिश्चित करेंगे। यह अपेक्षित है कि संवैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही की जाए एवं ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाए कि भविष्य में ऐसे कृत्यों की पुनरावृत्ति न हो। तद्नुसार ही शासकीय कार्य विधि में कार्य करना अपेक्षित है।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 द्वारा यू0 पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट 2023-2024 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-103/2022/1275/22-4-2022-80 (2)-2000, दिनांक 17 अगस्त, 2022 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश कारागार मैनुअल-2022 को कारागार अधिनियम, 1894 की धारा-59 की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-59/2025/56/22-4-2025-179402, दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश कारागार मैनुअल (प्रथम संशोधन)-2025 को कारागार अधिनियम, 1894 की धारा-59 की उपधारा (2) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर विधान सभा क्षेत्र-226, ललितपुर के अन्तर्गत ग्राम दैलवारा में रेलवे स्टेशन के पास रेलवे क्रासिंग पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराते हुए एन0एच0-44 से दैलवारा ग्राम में जखौरा मार्ग तक सड़क मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पीयूष बुन्देला व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के विकास खण्ड सठियांव मुबारकपुर सम्पर्क मार्ग से शेखराज यादव के मकान के बगल से देवली तक लगभग 01 किमी0 सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के जखनियां में विकास खण्ड मनिहारी के ग्राम बरईपारा में दुलार चंद राजभर के घर से कुलदीप राजभर के घर होते हुए नाला तक ढक्कनदार नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सागर राजभर व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सत्यपाल सिंह राठौर, सदस्य, विधान सभा की जनपद एटा की तहसील अलीगंज स्थित रजिस्ट्री आफिस भवन का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भानु प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद एटा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र-79, सादाबाद में ग्राम नगला कलों पर जल निकासी हेतु नाले पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र शहर पश्चिमी के धूमनगंज में अबुबकरपुर तिराहे पर शिव मन्दिर के पास से श्री बजरंगी पासी के आवास तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रितेश चन्द्रा व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम बन्ती खेड़ा में नासिर के मकान से हाथी करौदा बिजलीघर मार्ग तक लम्बाई लगभग 1100 मी0 जर्जर मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मेहरबान व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा के नगर निगम आगरा के वार्ड संख्या-91/56 आई0टी0आई0 से गौशाला तक वर्षा काल में जलभराव की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में श्री प्रहलाद सिंह गुड्डी व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती रेखा वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र-202, बिधूना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत धांधू के मुख्य मार्ग पर नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नाथूराम व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज पानी की टंकी के पास राजू देश प्रेमी मार्केट के सामने लगभग 300 मीटर सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूर्य प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव, विकास खण्ड सफीपुर में राजकीय महाविद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक विमल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेश त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद गोरखपुर के चिल्लूपार क्षेत्र के तरैना नाला, भुतहा नाला, कचनी नाला, कवितापुर नाला की साफ-सफाई

कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुखतार यादव व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद जालौन, विधान सभा क्षेत्र-220, कालपी के अन्तर्गत विकास खण्ड महेबा के अटरा दमरास मुख्य मार्ग से पिथऊपुर के मध्य कोंच मलंगा नाले पर लघु सेतु का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद पाठक व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका व्यपगत हुई।

श्री नन्दकिशोर, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के अन्तर्गत चिरौड़ी तालाब से शकलपुरा नहर तक नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित कुमार व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जीत लाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के विकास खण्ड सण्डवा चन्द्रिका के अन्तर्गत कोडरा भांटूपुर से मवईया कला को जोड़ने के लिये सई नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वंशीलाल प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 सुनील पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र-387, रोहनियां के अन्तर्गत वार्ड संख्या-57 छित्तपुर खास में जगन्नाथ के घर से वैष्णो नगर में रोड तक जल निकास एवं इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र पटेल व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री आलमबदी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद सन्तकबीरनगर के थाना बखिरा के अन्तर्गत ग्राम बुन्दीपार में आवागमन हेतु रास्ता बहाल कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिरुद्ध कुमार त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा की नगर पालिका हसनपुर के अन्तर्गत सम्भल अड्डे से शाहपुरकला तक फ्लाईओवर (3 किमी0) का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंकुर अग्रवाल व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना में ग्राम वेरा फिराजपुर में सहकारी समिति से अम्बेडकर पार्क तक (ल0 150 मी0) मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सरोज सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच की तहसील मिहींपुरवा के विकास खण्ड बलहा के आम छंगा पुरवा में पुलिया व सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के

सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड बेलसर के वीरसिंहपुर में टेढ़ी नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिवंश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जगदीश नारायण, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विकास खण्ड केराकत के अन्तर्गत ग्राम पूरनपुर के मौजा चरनाडीह में परभू यादव के बगीचे से राम जपित सिंह के घर तक लम्बाई ल0 900 मी0 सड़क का नव निर्माण एवं स्ट्रीट लाइट लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र करछना के अन्तर्गत ग्राम सभा डीहा में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री त्रिवेणी प्रसाद पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका व्यपगत हुई।

श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा के अन्तर्गत विकास खण्ड माण्डा के ग्राम सभा तिसनतुलापुर में बद्री मौर्या के बाग से मौर्या बस्ती तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुरारी मौर्या निवासी जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजमणि, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के अन्तर्गत नगर पंचायत कोरांव में महिला चिकित्सालय के भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नर सिंह केशरी, निवासी जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 मन्जू शिवाच, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के अन्तर्गत फरीदनगर पिलखुवा मार्ग से ग्राम महमदपुर सुजानपुर (अखाड़ा) तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विक्रम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के विकास खण्ड फूलपुर के ग्राम पल्थी मेन रोड से बनपुरवा तक 01.5 किमी0 रोड का निर्माण करवाये जाने के सम्मान में श्री राकेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मो0 ताहिर खान, सदस्य विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र-187, इसौली के अन्तर्गत ब्लाक कुडवार में लखनऊ-वाराणसी मार्ग से नौगवारायतासी रोड

तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री परवेज खान व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य विधान सभा की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के विकास खण्ड रेवती अन्तर्गत ग्राम पंचायत रामपुर से दिघार बाजार को जोड़ने वाले पुल का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में भी छट्टू पान्डेय में अन्य निवासीगण जनपद बलिया की माचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

इंजी0 बृजेश कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी के अन्तर्गत किसान मण्डी कुशमरा और किसान मण्डी किशनी के सम्पर्क मार्गों का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश यादव व अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री हरिओम, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज के तहसील पटियाली के अन्तर्गत ग्राम मगधरा में बाईपास सी0सी0/इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनमोहन व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के विकास खण्ड रामनगर के ग्राम आमादरवेशपुर में न्यौरी-रामनगर मुख्य मार्ग से हीरालाल यादव के घर तक मार्ग का सी0सी0 निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री यशवन्त यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 सुरभी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद के विधान सभा क्षेत्र कायमगंज के अन्तर्गत समस्त अघोषित शत्रु सम्पत्तियों की पहचान कर उन्हें शत्रु सम्पत्ति घोषित किये जाने एवं शत्रु सम्पत्तियों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री जयसिंह व अन्य निवासीगण जनपद फर्रुखाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम निवास वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा के अन्तर्गत नानपारा नगर में 50 शैय्या एम0सी0एच0 विंग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री धर्मराज सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड बंकी के ग्राम भुइहरा से जरूवा तक जर्जर सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम मिलन, निवासी जनपद बाराबंकी की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली-बखिरा मार्ग पर स्थित सुरवार से करमा कला तक सड़क (दूरी लगभग 3.00 किमी0) पुनः निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव सहाय चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र-255, सोरांव के ग्राम बलीपुर के मजरा सिरकिन्डिया में उपरौड़ा मनसैता नदी में मिलने वाले नाले पर पुल निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शमशेर बहादुर व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री तेज प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र करहल के विकास खण्ड घिरोर में पचावर से मुगाई होते हुए नगला नया मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विदेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री वीरेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज में ब्लॉक व तहसील फरेन्दा के ग्राम सभा हरैया और जलालगढ़ में स्थित जलालगढ़ पी0डब्लू0डी0 सड़क से रोहिनी नदी के बन्धे को जोड़ने वाली कच्ची सड़क को पक्की सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती मीनाक्षी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा में स्थित ग्राम लखावटी मिर्जापुर में सांई मन्दिर से हाई-वे तक मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक अनूपशहर अन्तर्गत चरौरा राजवाहा पर गांव छतुरिया के लिए पुल नव-निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री कैलाश नाथ, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड तुलसीपुर के ग्राम पूरे छीटन-अमरहवा व परेछीटन मार्ग पर स्थित खरझार नाले पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री चन्द्रभानु पासवान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर के अन्तर्गत झबरा पक्की सड़क से पंचायत भवन तक ल0 लगभग 150 मी0 सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम प्रगट रावत व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जयप्रकाश निषाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया के अन्तर्गत ब्लॉक रुद्रपुर के तहसील मुख्यालय रुद्रपुर में स्थित जर्जर उ0प्र0 परिवहन निगम का बस स्टेशन का टेण्डर कराकर पी0पी0 मॉडल में परिवर्तित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवीण प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के रेलनगर कालोनी सेक्टर-जे के अन्तर्गत मकान नं0 सी-1/88 से ए-79 एवं चन्द्रिका देवी मन्दिर ए-42 से सी-1/166 तक के सड़क का पुनर्निर्माण एवं मध्य में पड़ने वाली नालियों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री एस0डी0 द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र सदर, विकास खण्ड कर्वी के ग्राम पंचायत शिवरामपुर में रेलवे स्टेशन बी0एस0एन0एल0, टावर के पास से दक्षिण की तरफ मिथलेश कुमार श्रीवास्तव के घर तक लम्बाई लगभग 200 मी0 सी0सी0 रोड एवं नाली का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देशराज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका व्यपगत हुई।

श्री जय कुमार सिंह जैकी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी के ग्राम चक्की में रामबाबू पासवान के घर से मन्ना पासवान के घर तक सी0सी0 मार्ग व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ0 शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र देवरिया सदर के अन्तर्गत गौरी बाजार क्षेत्र के केन यूनियन गोरखपुर, देवरिया मार्ग से कालाबन तक सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री ऋषि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज की विधान सभा क्षेत्र नौतनवां के महुववा अड्डा को ब्लॉक का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्र प्रकाश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री समरपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगावां सादात के ग्राम कटाई से पूठी होते हुए गोकलपुरी तक की सड़क को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवीण पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रामपाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बालामऊ के अन्तर्गत कछौना पतसेनी नगर में स्थित रेलवे क्रासिंग 258बी पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवम मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में गुरसराय नगर में 4 लेन सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नेहिल सिंघई व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मोहन वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के विकास खण्ड मोतीचक के ग्राम सभा पिपरा में पंचायत भवन से छितौनी होते हुए स्वांगी पट्टी बन्धा तक लगभग 1.5 किमी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली में स्थित प्राचीन चिन्ताहरण मन्दिर का सौन्दर्यीकरण कर पर्यटन स्थल में सम्मिलित एवं घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई, विधान सभा क्षेत्र-159, बिलग्राम-मल्लावां के अन्तर्गत छेदापुरवा से चन्दौली तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विमलेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 अजय कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बागपत में छपरौली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कैंडवा-मवीकलां मुख्य मार्ग पर अजीत के भट्ठे से कांसा पुट्टी तक सड़क मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बागपत की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राकेश कुमार गोस्वामी, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा, विधान सभा क्षेत्र महोबा के ग्राम बारी से ग्राम बघारी तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 जी0 एस0 धर्मेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा, विधान सभा क्षेत्र-87, छावनी में देवरी रोड से उर्खरा तक जाने वाले मार्ग पर राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विवेक धर्मेश व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेश पाल सिंह उर्फ राजेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा, तहसील मांट के अन्तर्गत ग्राम सकतपुर से ग्राम शालपुर (अलीगढ़ सीमा) तक लगभग 01 किमी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भोला प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच, विधान सभा क्षेत्र बहराइच के विकास खण्ड चितौरा के अन्तर्गत चिलवारिया से धरशवा बाजार तक स्थित मार्ग

(लगभग 10 किमी0) का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम बिहारी तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री असीम कुमार, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ नगर निगम जोन-7 के शहीद भगत सिंह वार्ड के अन्तर्गत हरिकृष्ण मिश्रा के मकान में एस0एन0 चौधरी के मकान तक 120 मीटर सी0 सी0 रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिकृष्ण मिश्रा अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा की तहसील खैरागढ़ के ब्लॉक खेरागढ़ की ग्राम पंचायत दिगरौता के मजरा नगला डहर में तालाब की सफाई एवं चाहरदीवारी निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रजमोहन कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के ग्राम सभा बेलउं में श्री मुलायम यादव के घर के बगल से श्री जितेन्द्र राय के स्कूल होते हुए चिवटही तक सम्पर्क मार्ग पर पक्की सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुलायम यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री हृदय नारायण सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के ग्राम पंचायत भैसाड में विश्राम के घर से टौंस नदी तक फिल्टर चोक के साथ नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामानन्द व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली के ग्राम पंचायत खेजनपुर के औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र ऊँचाहार में विभिन्न ट्रेडों पर संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री रज्जन दुबे निवासी जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री हंसु राम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के बेल्थरा रोड विधान सभा क्षेत्र-357, में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जी पाइप लाइन डाली गयी है उससे सड़कों की भारी क्षति पहुँची है अभी तक उन सड़कों की मरम्मत नहीं कराया गया है। उक्त सभी सड़कों के मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरज यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विशम्भर सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र बबेरू के आम कमासिन को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बांदा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली में विकास खण्ड-सदर के आम सभा कुरई के राजस्व गांव केवटी में मेन रोड विरेन्द्र मिश्रा के मकान से ब्रह्मदत्त मिश्रा के मकान तक सड़क व सीवर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मारूति नन्दन उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बदलापुर के ग्राम तियरा में स्थित होम्योपैथिक अस्पताल के जर्जर भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्दीप पाठक व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राकेश कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी के अन्तर्गत अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोवर्धन व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत नगीना-बढ़ापुर मार्ग से अल्हैदातपुर होते हुए भोगली-रतुपुरा मार्ग पर ग्राम अल्हैदातपुर से ग्राम रामपुर छजमल के बीच चेपा नदी पर बॉक्स कन्वर्ट पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मौ0 हबीब व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज यादव व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती अलका सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई के ब्लॉक सण्डीला के अन्तर्गत सण्डीला नगर को जाम मुक्त बनाने हेतु कतिपय वैकल्पिक मार्गों का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमर गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र गोहना के अन्तर्गत इटौरा चौबेपुर के कपूरपुर में शेषनाथ चौहान की दुकान के पास पुलिया से श्री राम बचन चौहान के घर तक ल0 लगभग 500 मी0 सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के ब्लॉक जमानियां के ग्राम इजरी में 25 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री गुड्डू निवासी जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती आशा मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के ग्राम सभा मछगवां-2 के ग्राम मनोहरापुर का पुरवा जंगलपुरवा में रजपारापुर-मनोहरापुर सम्पर्क मार्ग से कल्लू भार्गव के मकान तक आर0सी0सी0/इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य ल0 लगभग 500 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मड़ियाहूँ में अल्ट्रासाउण्ड मशीन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज के अन्तर्गत वासा उत्तरडीह तिराहा से बडेवासा मजार होते हुए वासा दक्षिणडीह तक पिच रोड के मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फेजान अहमद व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री देवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत कासगंज एटा रोड से अमरपुर बाईपास से 4 नं0 ट्यूबवेल से तिलसई तक मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रंजीत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर के ग्राम भाकल देहरी पुल से वाया घसौती होते हुए शहरी पुल रामपुर मनिहारन तक मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अक्षयवीर व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री संजीव अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली के अन्तर्गत पी0डब्लू0डी0 मुख्य मार्ग से हरूनगला होते हुए अशर्फी लाल के मकान से नाग देवता मन्दिर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजबहादुर सक्सेना व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री तुफानी सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के अन्तर्गत ब्लॉक मुफ्तीगंज के ग्राम सभा परौंवा देवनाथ सरोज के घर से धानापुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुड्डू चौहान व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री संग्राम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना के अन्तर्गत वैना अलावलपुर मार्ग से परिसया तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के अन्तर्गत ग्राम गुलरा तथा गजेहड़ा के बीच बकुलाही नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद सलीम व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री शफीक अहमद अंसारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र स्वार के अन्तर्गत मस्वासी बाईपास के नव निर्माण के सम्बन्ध में श्री दीप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद रामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत ब्लॉक निगोही के ग्राम चकुलिया में जयगुरुदेव शिक्षण संस्थान से बरूआर सम्पर्क मार्ग (दूरी लगभग 01 किमी0) का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जियाउद्दीन रिजवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर पी0डब्लू0डी0 मार्ग से बहादुरा से बालपुर मार्ग तक लम्बाई 4.00 किमी0 एवं हुसैनपुर माइनर मठिया भरथांव होकर तेन्दुआ हरदिया मार्ग तक 2.00 किमी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामजी यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र दिबियापुर के अन्तर्गत ब्लाक रातवा से सियापुर होकर बम्बा पर दखलीपुर तक की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक प्रधान निवासी जनपद औरैया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री गुरू प्रसाद मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड-सोरांव डेरा गवाई से कुसूंगूर मार्ग पर मनसैता नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्र मणि शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री निर्मल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवां के विकास खण्ड-बिसवां के अन्तर्गत बिसवां सदरपुर मार्ग से ग्राम पडरिया तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा के ग्राम पंचायत घारीघाट विकास खण्ड-बभनजोत, तहसील मनकापुर के अन्तर्गत पार्क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभान अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री कैलाश, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली के ग्राम विशुनपुरा विकास खण्ड-चन्दौली में जल निकासी हेतु नाले को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नन्हे सिंह व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अनुराग सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड नरायनपुर के अन्तर्गत ऐबकपुर मोहाना से जलालपुरमाफी एवं शिवपुर का गंगा नदी द्वारा तेजी से हो रहे

कटान को रोकने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री माधवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई के अन्तर्गत सवायजपुर तहसील मुख्यालय को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अमन प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मोहम्मद हसन 'रूमी', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर की छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित वार्ड नं0-36, मुंशीपुरवा सईद पार्क का सुन्दरीकरण/जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अयान खान व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 संग्राम यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ के बक्शी का तालाब के वार्ड नं0-3, सरकपुर सरैया में सोनू पाल के घर से लेकर भौली के टोहीसिंह पुरवा में श्री के0 के0 सिंह के घर तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भानु प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ की सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पण्डित दीन दयाल उपाध्याय नगर ईब्राहीमपुर वार्ड जोन-8, सरसवाँ, अर्जुनगंज, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ में स्थित श्री जैन कॉम्प्लेक्स के पास से कुलवन्त सिंह के आवास तक सड़क एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम बिलाश चौहान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मऊ में दोहरीघाट मधुबन मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिषेक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री प्रदीप शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र सहजनवां में गीडा में इस्पात फैक्ट्रियों व कुछ अन्य उद्योगों की वजह से फैल रहे जानलेवा प्रदूषण पर नियन्त्रण हेतु ठोस कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामबुझारत पासवान व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री संजय कुमार शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर में स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुभव राघव व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

तदुपरान्त श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' ने कल कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा शान्तिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते समय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किये जाने पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि मनरेगा योजना, प्रदेश के किसानों एवं मजदूरों के विषयों को लेकर कर रही थी। विपक्ष को लोकहित के मुद्दों पर लेकर धरना-प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन सरकार द्वारा

शान्तिपूर्ण तरीके से धरना-प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बल प्रयोग, कांग्रेस के विधायकों को हाउस अरेस्ट किया गया, जिससे लोकतन्त्र की हत्या हुई है।

नेता विरोधी दल ने इस पर बल देते हुए कहा कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था में प्रदर्शन करना एवं अहिंसात्मक ढंग से विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन प्रदेश सरकार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं को समाप्त करने की बात करती है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में भाजपा द्वारा भी धरना प्रदर्शन किया जाता रहा है। उन्होंने अहिंसात्मक धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध न लगाये जाने का अनुरोध किया।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि जो विषय श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' ने उठाया है, उस पर कोई नोटिस सरकार को नहीं दिया गया है। श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' को धरना-प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं थी। जब वे चाहती हैं, उन्हें सदन में अपनी बात रखने का अवसर मिलता है, जो माँग सरकार से करती हैं, उसे सरकार पूरा भी करती है। कांग्रेस विधायकों को हाउस अरेस्ट नहीं किया गया, अपितु उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत उन्हें घर से निकलने से रोका गया था।

वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री अध्यक्ष से अनुरोध किया कि आज की अनुपूरक कार्य-सूची में मद संख्या-12 (1) व 12 (2) जो कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार एवं पारित करने के सम्बन्ध में है, इसे कल ले लिया जाए।

श्री अध्यक्ष ने प्रस्ताव किया, जो सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

इसी मध्य कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज विषयक श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा सदन में उठाए गये प्रकरण पर विपक्ष का संरक्षण किये जाने हेतु श्री इक़बाल महमूद द्वारा श्री अध्यक्ष से अनुरोध किया गया।

आज नियम-56 के अन्तर्गत कुल 09 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में अग्राह्य हुईं।

प्रदेश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति (जनपद मेरठ की गांधी आश्रम व श्री गांधी आश्रम मातृ संस्थान, कैम्प लखनऊ तथा शास्त्री नगर के सेन्ट्रल मार्केट के प्रकरणों का उल्लेख किया गया है।) विषयक अपनी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर विचार व्यक्त करते हुए नेता विरोधी दल ने कहा कि गांधी आश्रम और उसकी मातृ संस्था की कीमती जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इस धरोहर को बचाने के लिए

कर्मचारी तीन वर्षों से धरने पर हैं, लेकिन तहसीलदार की जाँच के बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्य मंत्री के संज्ञान के बाद भी प्रशासन मौन है। उन्होंने विषय को अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का बताते हुए सदन की शेष कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग की।

तदुपरान्त श्री अतुल प्रधान ने इस पर बल देते हुए मेरठ के शास्त्री नगर की दुकानों पर एल0डी0ए0 द्वारा की गई कार्रवाई की बात कहीं।

इस पर शासन का पक्ष रखते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि वर्ष 1987 से लम्बित कानूनी विवादों पर एल0आर0 (लॉ ऑफिसर) से लीगल ओपिनियन मांगी गई है ताकि आश्रम की जमीन को भू-माफियाओं से बचाया जा सके।

शास्त्री नगर के विषय में अवगत कराया कि 1986 में आवंटित आवासीय भू-खण्डों पर 1990 के दौरान बिना अनुमति अवैध व्यावसायिक निर्माण किया गया था। आवास विकास परिषद द्वारा दी गई नोटिसों के बाद मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा, जहाँ न्यायालय ने 2014 में ही इन्हें गिराने का सख्त आदेश दिया था। 729 सम्पत्तियों का लैण्ड यूज चेंज हो सकता है, जबकि 120 ऐसी हैं जहाँ तकनीकी कारणों से ऐसा सम्भव नहीं है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि प्रभावित व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के दायरे में समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।

तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

प्रदेश में शिक्षामित्र/अनुदेशकों के मानदेय, कैशलेस चिकित्सा की सुविधा दिलाने तथा कार्याधिक्य के कारण हो रही असुविधा विषयक अपनी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर विचार व्यक्त करते हुए श्री ओम प्रकाश ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए नियुक्त किये गये शिक्षामित्र बेबस और लाचार हैं। विद्यालय में दो तरह के टीचर है, महीनें में एक को 01 लाख रुपया दूसरे को विगत 09 वर्षों से 10 हजार रुपया ही मिल रहा है। 1 लाख 37 हजार घर बेबस, अनाथ और लाचार हैं। अन्य प्रदेशों में शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाया जा चुका है। सरकार द्वारा आश्वस्त किया गया था कि शिक्षामित्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए एक कमेटी बनेगी, जिसकी रिपोर्ट आने वाली है, लेकिन अभी तक नहीं आयी है। उन्होंने शिक्षामित्रों के हित में कदम उठाने के लिए सरकार से अनुरोध किया तथा साथ ही विषय को अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का बताते हुए सदन की शेष कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराने की माँग की।

इस पर शासन का पक्ष रखते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुरूप शिक्षक दिवस पर दिनांक 05-02-2026 को शासनादेश जारी करके समस्त शिक्षामित्रों, शिक्षकों और अनुदेशकों को 05 लाख रुपये की कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की गयी। शिक्षामित्रों को उनकी ग्राम पंचायत में तैनाती के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 03-01-2025 और दिनांक 09-12-2025 निर्गत किये गये, जिसके अनुसार हर

शिक्षामित्र को स्वेच्छानुसार ग्राम पंचायत में अपनी सेवायें देने की व्यवस्था की गयी है। चूँकि वर्तमान में एस0आई0आर0 में कई सारे शिक्षामित्र अपना दायित्व निभा रहे हैं। इस कार्य के पूर्ण हो जाने के बाद उनकी रिलीविंग का कार्य किया जायेगा और वह अपनी मनचाही ग्राम पंचायत में जाकर अपनी सेवायें दे सकेंगे। वर्ष 1999 से लागू शिक्षामित्रों की व्यवस्था हमारे विभाग के लिए महत्वपूर्ण हैं और वह बच्चों के पठन-पाठन में अपना अहम योगदान निभा रहे हैं। सरकार द्वारा वर्ष 2017 में मानदेय 3500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया था, शिक्षामित्रों के हितों के प्रति सरकार संवेदनशील है।

तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

इसी मध्य कार्य-स्थगन के रूप में शिक्षा की गुणवत्ता के सम्बन्ध में श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' ने प्रदेश की गिरती शिक्षा गुणवत्ता और शिक्षकों की भारी कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षकों की भर्ती अब तक लम्बित है और लगभग 8,000 से अधिक स्कूल एकल शिक्षक (सिंगल टीचर) के भरोसे चल रहे हैं। शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती न होने से करीब 06 लाख बच्चों का भविष्य अधर में है। इस विषय पर सूचना स्वीकृत न होने के दृष्टिगत जवाब की अनुपलब्धता के कारण संसदीय कार्य मंत्री ने इसे ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार किये जाने का अनुरोध किये जाने पर श्री अध्यक्ष ने सहमति व्यक्त की।

प्रदेश के शुगर मिल के मजदूरों की वेतन विसंगति विषयक अपनी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर विचार व्यक्त करते हुए श्री पंकज कुमार मलिक ने कहा कि वेज बोर्ड और स्थायी आदेशों के बावजूद श्रमिकों को वेतन-पर्ची और पहचान-पत्र जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, जिससे दुर्घटना की स्थिति में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। श्रम नियन्त्रण अधिकारियों की लापरवाही के कारण अभिलेखों का रख-रखाव ठीक से नहीं किया जाता है, ताकि जाँच के समय कमियों को छिपाया जा सके। चाहे सहकारी मिलें हों या निजी, हर जगह नियमों का उल्लंघन कर सीजनल और अस्थायी कामगारों का शोषण हो रहा है। उन्होंने श्रमिकों की वेतन वृद्धि एवं समिति बनाकर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कराने की मांग की तथा विषय को अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का बताते हुए सदन की शेष कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग की।

इस पर गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि निजी शुगर मिलों का अपना स्वतन्त्र प्रबन्धतन्त्र होता है, जिसमें सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं होता। न्यूनतम मजदूरी श्रम विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है और मुख्य मंत्री जी ने पूर्व में ही इसे बढ़ाकर 16 हजार रुपये से अधिक करने की घोषणा की है। सहकारी और निगम की मिलों में कर्मचारियों की भर्ती जैम पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से की जा रही है, जहाँ केन्द्र सरकार द्वारा तय मानकों के अनुरूप भुगतान सुनिश्चित किया जाता है। वेतन विसंगति या

नियमों के उल्लंघन की शिकायत प्राप्त होती है, तो उसकी गहन जाँच कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा श्री अजय सिंह के भाषण से आरम्भ हुई।

इनके भाषण के मध्य अपराह्न 02 बजकर 14 मिनट पर अधिष्ठाता श्री ओम प्रकाश पीठासीन हुए।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों ने भी आय-व्ययक की साधारण चर्चा में भाग लिया :-

श्री राजमणि,

श्री इन्द्रजीत सरोज,

श्री अनिल कुमार त्रिपाठी,

श्री पंकज सिंह,

श्रीमती ऊषा मौर्या उर्फ अनीला मौर्या,

श्री पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक),

श्रीमती पूजा पाल,

श्री वीरेन्द्र चौधरी,

श्रीमती कृष्णा पासवान तथा

श्री चेतराम।

श्री राजेन्द्र कुमार के भाषण के मध्य अपराह्न 03 बजकर 33 मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती अनुपमा जायसवाल पीठासीन हुईं।

निम्नलिखित मा0 मंत्रीगण/सदस्यों ने भी आय-व्ययक की साधारण चर्चा में भाग लिया :-

श्री पूरन प्रकाश,

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अनिल कुमार),

श्री दुर्गा प्रसाद यादव,

श्री रत्नाकर मिश्रा,

श्री शशांक वर्मा,

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव,

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती रजनी तिवारी),

श्री राकेश कुमार गोस्वामी,

श्री हृदय नारायण सिंह पटेल तथा

श्री अरविन्द कुमार सिंह।

डॉ0 अमित सिंह चौहान के भाषण के मध्य सायं 04 बजकर 48 मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती कृष्णा पासवान पीठासीन हुईं।

निम्नलिखित मा0 मंत्रीगण/सदस्यों ने भी आय-व्ययक की साधारण चर्चा में भाग लिया :-

श्री बेचई सरोज,

श्री नन्दकिशोर,

श्री धर्मराज निषाद,

श्री तेज प्रताप सिंह,

श्री योगेश शुक्ला,

महिला कल्याण राज्य मंत्री (श्रीमती प्रतिभा शुक्ला),

श्री कमाल अख्तर,

श्री राज प्रसाद उपाध्याय,

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्रीमती बिजय लक्ष्मी गौतम),

डॉ0 आर0 के0 वर्मा,

श्री विकास गुप्ता तथा

श्री तेजपाल सिंह नागर।

श्री श्याम सुन्दर के भाषण के मध्य सायं 06 बजकर 17 मिनट पर अधिष्ठाता डॉ0 मंजू शिवाच पीठासीन हुईं।

निम्नलिखित मा0 मंत्रीगण/सदस्यों ने भी आय-व्ययक की साधारण चर्चा में भाग लिया :-

मत्स्य मंत्री (डॉ0 संजय निषाद) के भाषण में प्रयुक्त कतिपय शब्दावली के विरोध स्वरूप समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के वेल में आकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।

घोर व्यवधान के मध्य सायं 06 बजकर 40 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

श्री अध्यक्ष के अनुरोध पर सपा सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गये।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों ने भी आय-व्ययक की साधारण चर्चा में भाग लिया :-

श्रीमती सलोना कुशवाहा

श्री विशम्भर सिंह यादव के भाषण के मध्य सायं 06 बजकर 53 मिनट पर अधिष्ठाता डॉ0 मंजू शिवाच पीठासीन हुईं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों ने भी आय-व्ययक की साधारण चर्चा में भाग लिया :-

श्री रमेश चन्द्र मिश्र,

श्रीमती ओममणी वर्मा,

श्रीमती विजमा यादव,

श्री प्रकाश द्विवेदी,

श्रीमती मीनाक्षी सिंह,

श्री मो0 ताहिर खान,

श्री हरिओम,

श्री प्रदीप शुक्ला,

डॉ0 पल्लवी पटेल,

श्री अब्बास अंसारी,

श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी,

श्री नागेन्द्र सिंह राठौर,

श्री हाकिम लाल बिन्द,

श्री ऋषि त्रिपाठी,

श्रीमती सरोज सोनकर,

श्री त्रिभुवन दत्त तथा

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी।

श्री राजेश गौतम के भाषण के मध्य श्री मनोज कुमार पारस द्वारा कोरम के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाए जाने पर श्री अधिष्ठाता ने कहा कि मा0 सदस्यों को लॉबी से बुलवा लिया जाय।

तदुपरान्त श्री पंकज कुमार मलिक के भाषण के मध्य रात्रि 08 बजकर 51 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों ने भी आय-व्ययक की साधारण चर्चा में भाग लिया :-

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह,

श्री रमेश जायसवाल,

श्री जय प्रकाश अंचल तथा

श्री त्रिभुवन दत्त।

श्री मनीष जायसवाल के भाषण के उपरान्त चर्चा आगे के लिए जारी हुई।

श्री अध्यक्ष ने सदन को अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा में 165 से अधिक सदस्यों ने प्रतिभाग किया, जो प्रशंसनीय है। उन्होंने सदन को सूचित किया कि चार विभागों पर चर्चा होगी। समय का निर्धारण भी कर लिया जायेगा। उन्होंने सभी दलों के मुख्य सचेतकों से विभागवार चर्चा हेतु सदस्यों की सूची उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की।

आज नियम-51 के अन्तर्गत कुल 112 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएँ ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार की गईं :-

क्र0-सं0	नाम	विषय
1	श्री पंकज पटेल	जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर के अन्तर्गत मछलीशहर बाईपास उसरा बाजार (कन्धी तक) (ओडीआर) मार्ग का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण विषयक।
2	श्रीमती सलोना कुशवाहा	जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के कतिपय ब्लॉकों में खेल के मैदान का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्रीमती केतकी सिंह	जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बांसडीह के अन्तर्गत केवरा से हुसैनाबाद-विसौली-कोलकला-रविदास मन्दिर से ताहिरपुर-कसौरी कला होते हुए रेवती नगर पंचायत तक अन्य जिला मार्ग (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में।
4	श्री प्रेमसागर पटेल	नगर पालिका परिषद् सिसवा बाजार, महराजगंज के अध्यक्ष द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में किये गये नियम विरुद्ध व्यय तथा अनियमित कार्य तथा अध्यक्ष के विरुद्ध विशेष सम्परीक्षा रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुये प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही वसूली की कार्यवाही विषयक।
5	श्री समरपाल सिंह	विधान सभा क्षेत्र नौगांवा सादात, जनपद अमरोहा ठाकुर द्वारा मार्ग से जलालापुर नरायन तक सड़क को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में।
6	श्री प्रदीप शुक्ला	जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र सहजनवां में गीडा का प्रदूषण नियंत्रण कराये जाने के सम्बन्ध में।
7	श्री बृजेश कुमार	विधान सभा क्षेत्र मोहान, जनपद उन्नाव अन्तर्गत ग्राम हाजीपुर गोसा के चकमार्ग 948 खाता सं0 00732 पर अतिक्रमण का सीमांकन कराकर मनरेगा योजना से निर्माण कराये जाने विषयक।
8	श्री राकेश प्रताप सिंह	जनपद अमेठी में कतिपय विकास खण्डों में विभिन्न विकास कार्यों की उच्चस्तरीय जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	नाम	विषय
9	श्री अतुल प्रधान	जनपद अमरोहा की तहसील हसनपुर अन्तर्गत ग्राम कोटा से ग्राम घोसीपुरा तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
10	श्री लक्ष्मी राज सिंह	विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर) की दाउदपुर ग्राम सभा की खाली भूमि पर बारात घर बनाये जाने के सम्बन्ध में।
11	श्री पंकज कुमार मलिक	देवबन्द साख नहर के सम्बन्ध में पटरी का चौड़ीकरण एवं नव निर्माण के सम्बन्ध में।
12	श्री रमेश जायसवाल	विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में विकास खण्ड नियामताबाद के ग्राम सभा मलोखर में नखडू के मकान से रामचन्द्र के मकान तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण के सम्बन्ध में।
13	श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू	विधान सभा क्षेत्र-330, पडरौना के नगरीय क्षेत्र में नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा निर्माण कराये गये फील्ड हॉस्पिटल पर डाक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, जाँच सम्बन्धित उपकरण आदि मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराकर अस्पताल का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में।
14	श्री पल्टूराम	विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर सदर अन्तर्गत भसैलवा नाला एवं सिरिया नालों की सफाई कराये जाने विषयक।
15	श्री बाबूलाल	विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी, आगरा की तहसील किरावली में सरकारी जमीनों से कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में।
16	श्री देवेन्द्र कुमार निम	विधान सभा क्षेत्र अक्षरधाम ग्रीन कॉलोनी में नाले को पुनः अवरोध मुक्त कराये जाने विषयक।
17	श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी	जनपद बस्ती में सरयू नहर परियोजना अन्तर्गत बस्ती नहर शाखा व खलालाबाद नहर शाखा के मध्य जल निकासी के लिए गरया ड्रेन के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।
18	श्री विवेकानन्द पाण्डेय	जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा अन्तर्गत विकास खण्ड-नेबुआ नौरगिया में नया उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	नाम	विषय
19	श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी)	विधान सभा क्षेत्र उरई, जनपद जालौन अन्तर्गत विकास खण्ड-डकोर के ग्राम हरदोई गुर्जर से दिरावटी तक मार्ग का नव निर्माण के सम्बन्ध में।
20	श्री वीरेन्द्र चौधरी	विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा, जनपद महराजगंज अन्तर्गत ग्राम सेमराडाडा और नगर पंचायत आनन्दनगर वार्ड नं0-5 में पुलिया का निर्माण कराये जाने विषयक।
21	श्री जवाहर लाल राजपूत	झाँसी जिले के गरौठा विधान सभा क्षेत्र में जुनियर हाई स्कूलों को उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में।
22	श्री विनोद चतुर्वेदी	जनपद जालौन में मूंग की फसल हेतु चेक प्राप्त किसानों के खसरों की जाँच के सम्बन्ध में।
23	श्री राजेश पाल सिंह उर्फ राजेश चौधरी	नोएडा के सेक्टर-62 मै0 ग्रैण्ड डेवलपर द्वारा नोएडा अथॉरिटी के नियमों का उल्लंघन व प्लॉट के दुरुपयोग के सम्बन्ध में।
24	श्री प्रकाश द्विवेदी	जनपद बाँदा के बाँदा सदर विधान सभा क्षेत्र में हर घर पाइप लाइन पेय जल योजना के अन्तर्गत गाँवों में टूटी पड़ी सड़कों का अनुरक्षण तथा जलापूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में।
25	श्री अभय सिंह	जनपद सिद्धार्थनगर में बिना प्रदूषण बोर्ड के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के ईंट भट्ठों के संचालन के सम्बन्ध में।
26	श्रीमती मीनाक्षी सिंह	विधान सभा क्षेत्र खुर्जा जंक्शन को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में।
27	श्री अनिल पाराशर	जनपद अलीगढ़ की विधान सभा कोल में महेशपुर फाटक से क्वारसी चौराहा होते हुए एटा चुंगी चौराहा से आगरा मार्ग तक फोर लेन निर्माण के सम्बन्ध में।
28	श्री राम मूर्ति वर्मा	एन0टी0पी0सी0 टाण्डा में मजदूरों को निकाले जाने के सम्बन्ध में।
29	श्री गुरु प्रसाद मौर्य	जनपद प्रयागराज विधान सभा क्षेत्र फाफामऊ में दहियावा बाजार से नवाबगंज मार्ग पर सराय साहब नाका तक नाली निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	नाम	विषय
30	श्री राम अचल राजभर	जनपद जौनपुर, तहसील मड़ियाहूँ के थाना नेवढ़िया के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा उसराँव (पुरवा) की निवासिनी श्रीमती रमपत्ती देवी पत्नी श्री धर्मराज, श्रीमती रीता देवी पत्नी पंकज राजभर को आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
31	श्री रमेश चन्द्र मिश्र	जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में एन0एच0-731 उसरा बाजार से तेजी बाजार बरई पार मछलीशहर तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक।

शेष सूचनाएँ अस्वीकृत हुईं।

विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, लखनऊ के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में जलभराव की समस्या के समाधान हेतु 08 नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 राजेश्वर सिंह द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2026 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, नगर विकास मंत्री का वक्तव्य, पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद रायबरेली के मोहल्ला देवानन्दपुर निकट एफ0जी0आई0टी0 शहर रायबरेली में भू-माफिया द्वारा हाई-वे से जुड़ा फ्रन्ट का रास्ता जे0सी0बी0 से खुदवा कर अवैध रूप से बन्द किये जाने के प्रकरण में भू-माफिया के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2026 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य, पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश के वित्त विहीन शिक्षकों की समस्या के निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2026 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य, पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी अन्तर्गत विकास खण्ड कदौरा में बरही बम्बा से बसरेही तक सड़क को सी0सी0 रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद चतुर्वेदी द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2026 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य लोक निर्माण राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद अम्बेडकरनगर की नगर पालिका परिषद् टाण्डा की अध्यक्ष के द्वारा पालिका के कार्यों में की जा रही अनियमितता की जाँच के सम्बन्ध में श्री अभय सिंह द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2026 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य, पढ़ा हुआ माना गया।

नगर निगम फिरोजाबाद के संविदा कर्मचारियों के हितों की रक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2026 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना

पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य, पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

नगर निगम अलीगढ़ में स्वच्छता/कूड़ा निस्तारण के कार्य में की जा रही नियम विरुद्ध कटौती की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामखिलाड़ी सिंह द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2026 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य, पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ में 50 बेड मैटरनिटी एण्ड चाइल्ड केयर विंग में स्टाफ की नियुक्ति के सम्बन्ध में श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2026 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग) का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत कांठ विधान सभा क्षेत्र के नगर पंचायत पाकबड़ा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमाल अख्तर द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2026 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद जौनपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम सभा आलमगंज चौराहे से गोपीपुर पुल तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 रागिनी द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2026 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य लोक निर्माण राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद कानपुर के अन्तर्गत सीसामऊ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्य ड्रेनेज लाइन (डॉटलाइन नाला) का तत्काल तकनीकी निरीक्षण कराकर आवश्यक मरम्मत, पुनर्निर्माण, सुरक्षा प्रबन्ध एवं नियमित सफाई की प्रभावी व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती नसीम सोलंकी द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2026 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद फर्रुखाबाद के कायमगंज क्षेत्र के अन्तर्गत किसानों द्वारा निजी कृषि भूमि पर लगाये गये सागौन के पेड़ों की कटाई हेतु अनावश्यक प्रशासनिक अनुमति की बाध्यता समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 सुरभी द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2026 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वन एवं पर्यावरण मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद सहारानपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के विकास खण्ड नकुड़ अन्तर्गत ग्राम साल्हापुर में दलित बस्ती में स्थित तालाब की दीवार का निर्माण तथा तालाब की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश चौधरी द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2026 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास विभाग) का केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के कारण भारी वाहन के निरन्तर आवागमन से विधान सभा क्षेत्र बाबागंज (प्रतापगढ़) की लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई मुख्य/सम्पर्क मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के कारण सड़कों की मरम्मत/नया निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद सरोज द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2026 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद शाहजहाँपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का कृषकवार सत्यापन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीर विक्रम सिंह द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2026 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृषि मंत्री का केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद फतेहपुर के बिन्दकी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बिन्दकी नगर से रामादेवी, कानपुर तक पूर्व में संचालित इलेक्ट्रिक बस सेवा को जनहित में पुनः संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जय कुमार सिंह जैकी द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2026 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखनऊ के निशातगंज क्षेत्र स्थित पेपर मिल कॉलोनी के कैफी आजमी प्रेक्षागृह को सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों के लिए नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में श्री ओ0 पी0 श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2026 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

तदुपरान्त सदन का उपवेशन रात्रि 09 बजकर 41 मिनट पर अगले दिन के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

———————

स्वीकृत,
सतीश महाना,
अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 239 एल0ए0 विधान सभा (402)-19-02-2026-50 प्रतियां (कम्प्यूटर)।